फा.सं./ F. No. 18-06/2021-DD-III

भारत सरकार / Government of India

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

पांचवा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन

5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,

सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110003

CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

दिनांक/ Dated: 31.05.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 29.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की आठवीं बैठक को कार्यवृत्त के संबंध में।

सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी सह अध्यक्ष, शासी निकाय दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की अध्यक्षता में 29 मई, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(अमित श्रीवास्तव / Nithali Ram)

उप सचिव, भारत सरकार / Deputy Secretary to the Govt of India

दूरभाष / Tel: 24369068

Email: nithali.ram@nic.in

1. श्री संजय पाण्डे, संयुक्त सचिव और एकीकृत वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव और सीईओ, राष्ट्रीय न्यास, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली
3. श्री पूर्णेंदु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
4. श्री विजय कुमार मीना, उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय

5. श्री अजीत सिंह महावीर सिंह शेखावत, शेखावत डागरा और एसोसिएट्स, बी-320, स्वागत रेन फॉरेस्ट-II, कुडासन, गांधीनगर-382421, गुजरात
6. डॉ. श्री गोविन्दराज, सं. 86, हार्वे पैड्डी, तिरूपरमकुंड्रम, मदुरै, तमिलनाडु-625005

प्रतिलिपि:

i. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
ii. संयुक्त सचिव (आरवाई)

29 मई, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे विभाग के सम्मेलन कक्ष में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सह अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत शासी निकाय की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, सह शासी निकाय के अध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव और सीईओ से शासी निकाय के विचारार्थ कार्यसूची बिंदुओं पर एक प्रस्तुति देने का अनुरोध किया।

3. शासी निकाय (जीबी) द्वारा लिए गए कार्यसूची-वार निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

3.1 कार्यसूची 1 - मौजूदा योजना दिशानिर्देशों में प्रस्तावित नए घटक।

क्र.सं.	नया घटक	पात्रता आदि का विवरण
1.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई तथा अन्य केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के अंतर्गत विशेष रूप से दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूलों के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एसटीईएम प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले कम से कम 10 बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करते हैं। समावेशी स्कूलों के लिए, न्यूनतम 50 सीडब्ल्यूएसएन और न्यूनतम 10 पीडब्ल्यूडी छात्र होने चाहिए जिन्होंने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है।	विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जीबी ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया: **योग्यता –** • राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और सीबीएसई/आईसीएसई और अन्य केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों के तहत दृष्टिहीन/बधिर/आईडी स्कूल - कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने वाले न्यूनतम 10 सीडब्ल्यूएसएन छात्र • समावेशी स्कूल – न्यूनतम 50 सीडब्ल्यूएसएन, और न्यूनतम 10 पीडब्ल्यूडी छात्र जिन्होंने 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है। **प्रावधान –** • 11वीं और 12वीं कक्षा में एसटीईएम प्रयोगशालाएं बनाने के लिए ऐसे प्रत्येक स्कूल (एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 स्कूल) को अधिकतम 5 लाख रुपये या वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, एकबारगी सहायता अनुदान। यह राशि प्रयोगशाला सुविधाओं (भवन अवसंरचना शामिल नहीं) के निर्माण पर खर्च की जाएगी। • अनुदान दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। दूसरी

		किस्त उपयोग प्रमाण पत्र, सहायक रसीद, स्कूल के प्रमुख से प्रमाण पत्र आदि प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। **आवेदन कैसे करें –** • **एनआईओएस/सीबीएसई/ आईसीएसई/अन्य केंद्रीय बोर्डों के तहत स्कूल -** प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। • राज्य बोर्डों के तहत स्कूलों और समावेशी स्कूलों के लिए– प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। • स्कूल के प्रमुख को अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि का आयोजन के समापन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **अनुमोदन प्राधिकरण-** शासी निकाय इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।
2.	दिव्यांगता खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलीटों, कोचों और एस्कॉर्ट्स की यात्रा, भोजन और आवास की व्यवस्था।	जीबी ने निम्नलिखित को मंजूरी दी: **उद्देश्य –** दिव्यांगता खेल केंद्र (सीडीएस) को लोकप्रिय बनाने के लिए, दिव्यांग एथलीटों एस्कॉर्ट्स (जहां भी आवश्यक हो) और कोचों की यात्रा, भोजन और आवास हेतु राष्ट्रीय निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। **योग्यता –** • निदेशक, सीडीएस की सिफारिश पर वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा। • दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 31 मार्च 2024 तक सीडीएस कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। शासी निकाय बाद में उक्त समय सीमा की समीक्षा करेगा। • आवेदक को किसी अन्य स्रोत से उसी कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त या आवेदन नहीं करना चाहिए। आवेदन के साथ इस प्रभाव में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। • एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष में केवल

		एक बार दी जाएगी। • वित्तीय सहायता शुरू में केवल 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध होगी। शासी निकाय बाद में उक्त समय सीमा की समीक्षा करेगा। **वित्तीय सहायता की सीमा –** • यात्रा – एसी 2 टियर रेल का किराया। हालांकि, रेल यात्रा की अवधि 12 घंटे या उससे अधिक होने पर इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी। • भोजन और आवास – वास्तविक आधार पर या 2500 रुपये प्रति दिन, जो भी कम हो। **नोट –** चिकित्सा प्राधिकरण की सिफारिश पर एक एस्कॉर्ट की अनुमति दी जाएगी। **आवेदन कैसे करें –** • निदेशक, सीडीएस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। • सीडीएस को कार्यक्रम के समापन के 15 दिनों के भीतर अंतिम बिल, उपयोग प्रमाण पत्र आदि जमा करने की आवश्यकता होगी। **अनुमोदन प्राधिकरण-** शासी निकाय प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।

नोट: शासी निकाय के अनुमोदन के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

3.2 कार्यसूची 2 - नए प्रस्ताव

नए प्रस्तावों के संबंध में जीबी के निर्णय निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्रस्ताव का विवरण	विभाग की टिप्पणियाँ		सिफ़ारिश
		दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड	क्या मानदंड पूरे किए गए हैं	
1.	विकलांग सहारा समिति दिल्ली - दिल्ली हाट, पीतमपुरा में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कार्यशाला/प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए। मांगी गई निधि – 11 लाख कार्यक्रम की तिथि – सितम्बर, 2023	• न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीकृत • न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव • उद्देश्य – प्रदर्शनी / कार्यशाला • एक ही प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)।	• हां • हां • हां • प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। राशि की सीमा - 10 लाख	जीबी ने 10 लाख रुपये या किए गए वास्तविक व्यय की राशि जो भी कम हो, के लिए वित्तीय अनुदान अनुमोदित की जो संगठन द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है। यह सुझाव दिया गया कि संगठन तत्काल प्रस्ताव में प्रस्तावित 1000 रुपये के टीए को बढ़ाने की संभावना पर विचार कर सकता है।
2.	**सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट** ने प्रदर्शनी की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए अनुदान की मांग की i. 7 जुलाई, 2023 को मुंबई में। **मांगी गई निधि – रू. 10,00,000/-**	• न्यूनतम 3 वर्ष से पंजीकृत • न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव • उद्देश्य – प्रदर्शनी / कार्यशाला • एक ही प्रयोजन	• हां • हां • हां • प्रमाण पत्र	जीबी ने कहा कि दिशानिर्देशों के संदर्भ में, वित्त पोषण केवल प्रस्तावित कार्यक्रमों में से किसी एक पर विचार किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही चालू वित्त

	ii. 7 - 8 दिसंबर, 2023 को दिल्ली में। **मांगी गई निधि – रू. 20,75,000/-**	के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)।	प्रस्तुत नहीं किया गया। राशि की सीमा • 10 लाख (राज्य स्तर) • 15 लाख (क्षेत्रीय स्तर) • 20 लाख (राष्ट्रीय स्तर)	वर्ष में निर्धारित हैं। यह भी नोट किया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तुत कुल बजट 20,75,000/- रुपये है जो एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। तथापि, दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए निर्धारित सीमा 20,00,000/- रुपये है। इसलिए, जीबी ने दिसंबर 2023 में दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए 20 लाख रुपये या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की राशि के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दे दी। यद्यपि यह अनुदान संगठन द्वारा एक प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन होगा, जिसमें यह बताया गया होगा कि इसने इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।
3.	नेशनल एबिलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएएआई) - 2027 में पीडब्ल्यूडी के लिए डिज़ाइन	दिशानिर्देशों के तहत शामिल नहीं किया गया		जीबी ने एक विशेष मामले के रूप में प्रस्ताव पर चर्चा की। इस प्रस्ताव में

	किए गए अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता है। मांगी गई निधि रु. 15,47,50,000/- है।			2027 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताओं के अगले संस्करण की मेजबानी के लिए निधि की मांग की गई है। यह नोट किया गया कि इससे पहले भारत ने एनएएआई द्वारा वर्ष 2003 में उक्त प्रतियोगिता की मेजबानी की गई थी। उस अवसर पर, शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। उक्त आयोजन का बजट 3 करोड़ रुपये बताया गया था। यह सूचित किया गया कि सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट एनएएआई के मामलों को देख रहा है। जीबी ने आगे कहा कि 2003 के आयोजन की

				मेजबानी के बाद से, डीईपीडब्ल्यूडी तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जैसे नए मंत्रालय / विभाग बनाए गए हैं। चूंकि यह आयोजन दिव्यांगता के अलावा अन्य पहलुओं से भी संबंधित है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इस प्रक्रिया में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की भागीदारी इस आयोजन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए उपयुक्त होगी। जीबी को सूचित किया गया कि दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर पर्पल फेस्ट आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5 करोड़ रुपये के वित्तपोषण का प्रावधान है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जीबी ने उल्लिखित 15 करोड़ रुपये से

				अधिक के कुल बजट में से 5 करोड़ रुपये या 50% जो भी कम हो, की सिफारिश की। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त वित्तीय अनुदान इस शर्त के अधीन होगा कि एनएएआई शेष वित्तपोषण के संबंध में भी वचन (अंडरटेकिंग) देगा। एनएएआई को कौशल विकास और उद्यमिता तथा शिक्षा मंत्रालयों के साथ परामर्श करने की भी सलाह दी गई थी।
4.	अल्पना - पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प चित्रों सहित उत्पादों का प्रदर्शन करने और हस्तशिल्प बनाने एवं चित्रों पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए 18 और 19 नवंबर, 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में प्रदर्शनी का आयोजन करने हेतु **मांगी गई निधि – रु. 20,00,000/-**	• न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीकृत • न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव • उद्देश्य – प्रदर्शनी / कार्यशाला • एक ही प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)।	• हां • हां • हां • प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। राशि की सीमा- 20 लाख (राष्ट्रीय स्तर)	संगठन के प्रतिनिधि ने जीबी को सूचित किया कि आयोजन (2 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी) के घटक क का कुल बजट 25,31,000 रुपये है। तथापि, राष्ट्रीय निधि से केवल 20,00,000/- रुपये की मांग की गई है। जीबी ने 20 लाख रुपये या वास्तविक

				व्यय, जो भी कम हो, के वित्तीय अनुदान को मंजूरी दी। तथापि, यह अनुदान संगठन द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा कि अंतर वित्त पोषण (गैप फंडिंग) (यदि अपेक्षित हो) को छोड़कर उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है।
5.	श्री रिमो साहा – 17 जुलाई से 22 जुलाई, 2023 तक रिले फार्मेट में इंग्लिश चैनल पार करने के लिए आवेदक, जो एक पैरातैराक (पैरास्विमर) है, द्वारा मांगी गई 5,33,400/- रुपये की वित्तीय सहायता	• बेंचमार्क दिव्यांगजन। • पिछले 3 वर्षों के दौरान कम से कम एक बार राज्य स्तर पर खेलों में पहले तीन रैंकों में हो। • उद्देश्य - अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के खेल आयोजन में भाग लेना। • उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)। • पीडब्ल्यूडी को	• हां (80%) • इंग्लिश चेनेल (2018), कैटालिना चैनल (2019), नॉर्थ चैनल (2022) • हां • प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया • 2023-24 के	जीबी ने दिशानिर्देशों के अनुसार और अन्य उम्मीदवारों को दिए गए अनुदान की तर्ज पर निम्नलिखित को मंजूरी दी: हवाई किराया – इकोनॉमी दैनिक भत्ता – 4000 रुपये प्रति दिन वीजा शुल्क तथापि, अनुदान एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा कि इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय

		इसी तरह की गतिविधि के लिए निधि से सहायता एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दी जाएगी।	दौरान अब तक एनएफ से अनुदान नहीं दिया गया है। राशि की सीमा – इकोनॉमी क्लास में आने-जाने का टिकट और 4000 प्रति दिन। नोट: टीम के नेता श्री सतेंद्र सिंह हैं, जिन्हें इसी तरह के आयोजन के लिए 2022-23 में एनएफ से निधि दिया गया था।	सहायता प्राप्त नहीं की गई है।
6.	दिव्य बैंड्स ऑफ इंडिया, एनआईईपीवीडी (देहरादून) ने 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के दिव्यांगजनों के 36 बैंडों के बीच एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता और समापन संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।	• न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीकृत • न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव • उद्देश्य – प्रदर्शनी / कार्यशाला • एक ही प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)।	• हां • हां • हां • प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया गया राशि सीमा – 20 लाख (राष्ट्रीय स्तर)	चूंकि आयोजनकर्ता संस्थान विभाग के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान है, इसलिए जीबी ने अनुदान के लिए 24,18,000/- रूपये या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की मंजूरी दी है। यह भी मंजूरी दी गई कि केवल दृष्टि बाधित (40% या उससे अधिक दिव्यांगता) वाले व्यक्ति प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

3.3 कार्यसूची सं. 3 – अन्य सिफारिशें

- राष्ट्रीय निधि के नए दिशा-निर्देशों के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस नोट जारी किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निधि के तहत प्रावधानों के बारे में जानकारी को और अधिक प्रचार-प्रसार करने के अनुरोध सहित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ दिशा-निर्देश साझा किए जाएंगे।

****

अनुबंध-I

प्रतिभागियों की सूची

क शासी निकाय के सदस्य

1.	श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी	संयोजक और सीईओ
3.	श्री निठाली राम, उप सचिव (आईएफडी), डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
4.	श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव और सीईओ राष्ट्रीय न्यास	सदस्य
5.	श्री विजय कुमार मीना, उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री पूर्णेंदु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,	सदस्य (उपस्थित नहीं हुए)
7.	श्री अजीत सिंह शेखावत, गुजरात	सदस्य
8.	श्री गोविन्दराज, मदुरै, तमिलनाडु	सदस्य

ख विभाग के अधिकारी

9. श्री निठाली राम, उप सचिव (नीति)
10. श्री अमित श्रीवास्तव, अवर सचिव (नीति)
11. श्री आशुतोष श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी (नीति),